

विज्ञप्ति

परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत तहसील अल्मोड़ा के ग्राम जिंगल , राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र न्योली, तहसील व जिला अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्षाकाल में सरयू नदी के दोनों किनारों पर स्थित मोटर मार्ग व कृषि भूमि के कटाव की सुरक्षा एवं ग्रामीणों की भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थान पर सरयू नदी के भाग को मध्य भाग से चैनेलाईज तथा मलवे उठान हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधित-2020 के द्वारा गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला अधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 7592/तीस-16/ए0जे0ए0/2019-20, दिनांक 20.06.2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम , 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनहित में उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति तथा सुसंगत नियमों के तहत उक्त स्थल को रिवर ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत किया गया है तथा सम्बन्धित स्थल से आर 0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण हेतु नियमानुसार उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधित-2020 के अनुसार समिति को खुली नीलामी (Open Auction) कराते हुये उच्च बोलीकर्ता/सफल आवेदक चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः तहसील अल्मोड़ा के ग्राम जिंगल, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र न्योली, तहसील व जिला अल्मोड़ा में सरयू नदी के भाग को मध्य भाग से चैनेलाईज किये जाने हेतु उक्त स्थल पर आर0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण के लिये खुली नीलामी (Open Auction) हेतु जनपद अल्मोड़ा के स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं से आवेदन पत्र दिनांक 22 जून, 2020 से दिनांक 25 जून, 2020 के अपराहन 04:00 बजे तक उपजिलाधिकारी कार्यालय , सदर, अल्मोड़ा में आमंत्रित किये जाते हैं। तदोपरान्त सफल आवेदक के चयन हेतु दिनांक 25.06.2020 के अपराहन 04:00 बजे उपजिलाधिकारी कार्यालय, सदर, अल्मोड़ा में गठित समिति के सदस्यों के सम्मुख खुली नीलामी (Open Auction) किया जायेगा।

खुली नीलामी हेतु चिह्नित क्षेत्र का विवरण व शर्तें निम्नवत् है:-

क्र.	खुली नीलामी हेतु चिह्नित स्थल का नाम	तहसील का नाम	नदी का नाम	आंकलित मात्रा	खसरा संख्या तथा क्षेत्रफल	आधार मूल्य
01	ग्राम जिंगल , रा0उ0नि0 क्षेत्र न्योली	अल्मोड़ा	सरयू नदी	30450 घनमीटर या 66990 टन	गैर ज0वि0ख0 संख्या 74 के खेत संख्या 731 रकबा 0.200 हे0 मध्ये 0.086 हे 0, खेत संख्या 1040 रकबा 0.600 हे0 मध्ये 0.340 हे0, खेत संख्या 1297 रकबा 1.089 हे0 मध्ये 0.736 हे0, खेत संख्या 1313 रकबा 0.262 हे 0 मध्ये 0.018 हे 0, गैर ज 0वि0ख0 संख्या 78 के खेत संख्या 1298 रकबा 0.143 हे0 मध्ये 0.038 हे 0, कुल 1.218 हे 0 भूमि	23,44,650.00 इसके अतिरिक्त नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 02 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान 25 प्रतिशत देय होंगे)

शर्तें-

1. आवेदक जनपद अल्मोड़ा का स्थायी निवासी हो , जिसके प्रमाण हेतु आवेदक द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. खुली बोली हेतु आधार मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि अरनेस्ट मनी के रूप में ड्राफ्ट बनाकर, जो जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के नाम बंधक हो, प्रस्तुत किया जाना होगा।

3. आवेदनकर्ता द्वारा जनपद अन्तर्गत खनन का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. आवेदनकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में किसी भी काली सूची में न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आवेदक का जी०एस०टी० नम्बर होना आवश्यक है, जिसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी।
6. आवेदनकर्ता को बोली के दिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा, कोई भी प्रतिनिधि अथवा अन्य बोली में प्रतिभाग नहीं करेगा। इस स्थिति में आवेदक के उपस्थित न होने के कारण आवेदन निरस्त माना जायेगा।
7. आवेदनकर्ता बोली से पूर्व चिह्न स्थल पर आर०बी०एम० की मात्रा तथा पहुंच/निकासी मार्ग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही बोली में प्रतिभाग करें।
8. आर०बी०एम० की निकासी हेतु मार्ग तथा किसी भी स्थानीय विवाद की स्थिति में सफल घोषित बोलीधारक/चयनित सफल आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. सफल घोषित बोलीकर्ता द्वारा उच्च बोली गयी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तहसील अल्मोड़ा में तत्काल जमा की जानी होगी।
10. सफल घोषित बोलीकर्ता को बोली गयी उच्च धनराशि का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 02 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत तथा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान 25 प्रतिशत अंशदान जमा किये जाने होंगे।
11. मलवे का निस्तारण यथा सम्भव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुये किया जायेगा।
12. नदी के जल स्तर से एक मीटर गहराई तक चुगान की अनुमति होगी।
13. आर०बी०एम० चुगान की खुली नीलामी के पश्चात नदी से मलवे के उठान की अनुमति उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधित 2020 के अनुसार अधिकतम दो माह अथवा खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, इनमें से जो भी पहले होए तक ही अनुमति होगी।
14. खुली बोली/नीलामी की कार्यवाही को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अन्तिम निर्णय समिति के अध्यक्ष के अधीन होगा।

(सीमा विश्वकर्मा),
उपजिलाधिकारी सदर,
अल्मोड़ा।

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा।

संख्या 457(1) /रिवर ट्रेनिंग-नीलामी/ 2019.2020, दिनांक 22 जून, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।
4. भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद अल्मोड़ा की वेबसाइट <https://almora.nic.in> में अपलोड करने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी सदर,
अल्मोड़ा।